राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग
(राजकीय वादकरण)

क्रमांक प0 12(04) राज/वाद/24 जयपुर दिनांक 14-6-24

:: आदेश ::

राजस्थान के माननीय राज्यपाल महोदय की आज्ञा से माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के समक्ष राजस्थान राज्य के प्रकरणों में पैरवी करने हेतु निम्नांकित अधिवक्तागण को कार्यभार संभालने की तिथि से अग्रिम आदेशों तक, के लिए निम्नांकित सेवा–शर्तों पर अतिरिक्त महाधिवक्ता के पद पर नियुक्त किया जाता है:–

क्र.सं.	अधिवक्ता का नाम (सर्वश्री/श्रीमती/सुश्री)	पंजीयन क्रमांक
1	सज्जन सिंह राठौड़	आर/155/2009
2	नरेन्द्र राजपुरोहित	आर/3457/2006
3	श्याम सुन्दर लदरेचा	आर/399/1989
4	इन्द्र राज चौधरी	आर/236/1981
5	नाथू सिंह राठौड़	आर/782/2002

सेवा–शर्तें:–

1. माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में नियुक्त अतिरिक्त महाधिवक्ता का मुख्यालय जोधपुर होगा।
2. अतिरिक्त महाधिवक्ता को मासिक रिटेनरशिप फीस, एपीरियेन्स फीस, ड्राफ्टिंग व सैटलिंग चार्जेज एवं विधिक राय हेतु फीस विभागीय आदेश क्रमांक प012(03)राज/वाद/18 जयपुर, दिनांक 10.02.2024 एवं भविष्य में समय–समय पर यथा संशोधित आदेशों के अनुसार देय होंगे।
3. अतिरिक्त महाधिवक्ता को उनके मुख्यालय से बाहर रहने पर उन्हें टी.ए. व डी.ए. शासन सचिव के समान देय होगा।
4. अतिरिक्त महाधिवक्ता को टेलीफोन की व्यवस्था उनके कार्यालय एवं निवास स्थान पर राज्य सरकार की ओर से की जावेगी।
5. वे अतिरिक्त महाधिवक्ता के लिए नियत सभी कर्तव्यों की पालना, महाधिवक्ता के निर्देशानुसार एवं स्वतंत्र रूप से करेंगे।
6. वे किसी निजी पक्षकार अथवा अर्द्धसरकारी निकायों एवं निगमों का, जिनमें राजकीय हितों का उनसे विरोध हो, ऐसा कोई मामला (ब्रीफ) स्वीकार करने के अधिकारी नहीं होंगे।
7. वे उच्च न्यायालय के समक्ष उन्हें सौंपे गये सभी सरकारी फौजदारी, दीवानी, याचिकाऐं व विधि मामलों की पैरवी करेंगे।
8. उक्त शर्तों के अलावा विधि एवं विधिक कार्य विभाग द्वारा समय–समय पर जारी सेवा शर्तों/निर्देशों की पालना सुनिश्चित करेंगे।

आज्ञा से
14.6.24
(ब्रजेन्द्र कुमार जैन)
प्रमुख शासन सचिव, विधि

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. प्रमुख सचिव, माननीय राज्यपाल/माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान जयपुर।
2. विशिष्ठ सहायक, माननीय विधि मंत्री ।
3. रजिस्ट्रार जनरल, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर पीठ।
4. निजी सचिव, महाधिवक्ता, राजस्थान, जयपुर।
5. वरिष्ठ शासन उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय।
6. महालेखाकार, राजस्थान जयपुर
7. निजी सचिव, समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव।
8. समस्त अतिरिक्त महाधिवक्ता, राज. उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर पीठ।

9. समस्त राजकीय अधिवक्ता मय अतिरिक्त महाधिवक्ता, प्रशासक वादकरण, गवर्नमेंट काउन्सिल, राज. उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर पीठ।
10. समस्त अतिरिक्त महाधिवक्ता/एडवाकेट ऑन रिकॉर्ड, नई दिल्ली।
11. समस्त जिला कलक्टर्स/पुलिस अधीक्षक/विभागाध्यक्ष।
12. समस्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, राजस्थान।
13. अधीक्षक, केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को राजस्थान राज–पत्र के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ।
14. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, जयपुर।
15. सचिव, राजस्थान विधानसभा, जयपुर।
16. निबंधक, राजस्व मण्डल, अजमेर।
17. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
18. संबंधित अतिरिक्त महाधिवक्ता, राज. उच्च न्यायालय।
19. सम्बन्धित कोषाधिकारी।
20. विधि विभाग के समस्त प्रकोष्ठ।
21. आहरण एवं वितरण अधिकारी/लेखा शाखा, वादकरण।
22. प्रोग्रामर, विधि एवं विधिक कार्य विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने एवं राजस्थान राज–पत्र के आगामी अंक में प्रकाशन करवाये जाने हेतु।
23. रक्षित पत्रावली।

(राजेश गुप्ता)
शासन सचिव, विधि